



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 253] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 1980/भाद्र 6, 1902
No. 253] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 1980/BHADRA 6, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1980

सा. का. नि. 494(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की
धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इसके द्वारा
विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की तारीख 30 अगस्त, 1972 की अधिसूचना संख्या
जी. एस. आर. 398(ई) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा :—
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(क) गुजरात में सम्बन्धित क्रम संख्या 4 के सामने कालम 2 में वर्तमान
प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, यथा—

“गुजरात सरकार के उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (पासपोर्ट)
गांधीनगर” ;

(ख) मंत्रालय से सम्बन्धित क्रम संख्या 12 के सामने कालम 2 में वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, यथा—

“6. उपायुक्त, पूर्वी गारो हिल्स जिला, विलियमनगर।

7. उपायुक्त, पश्चिमी खासी हिल्स जिला, नांगस्तोइन।”

[संख्या बी. 1/401/50/72]

माधव केशव मंगलमूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 1980

G.S.R. 494(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs No. G.S.R. 398(E), dated the 30th August, 1972, namely :—

In the Schedule to the said notification,—

(a) against serial No. 4, relating to Gujarat, in column 2, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

“Deputy Secretary to the Government of Gujarat, General Administration Department (Passport), Gandhinagar.”;

(b) against serial No. 12, relating to Meghalaya, in column 2, after the existing entries, the following entries shall be added, namely :—

“6. The Deputy Commissioner, East Garo Hills District, Williamnagar.

7. The Deputy Commissioner, West Khasi Hills District, Nongstoin”.

[No. VI/401/50/72]

M. K. MANGALMURTI, Jt. Secy.